

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
महाप्रबन्धक/इंजी.
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
OFFICE OF THE
GENERAL MANAGER/ ENGG.
N.E. RAILWAY, GORAKHPUR

संख्या - डब्लू/68/विज/कान्फीडे./भाग-11/डब्लू-3सा0

दिनांक 21.02.2024

वरिष्ठमण्डल इंजी0/समन्वय,
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी
उप मुख्य इंजीनियर/गो0क्षे0, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
उप मुख्य इंजीनियर/पुल लाईन/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
मुप्रअ0/निर्माण/पूउरे0/गोरखपुर।

विषय:—“Two Packets System”के तहत आमंत्रित की गई निविदा (पद्धति सुधार)।

संदर्भ:— 1. उप मुसताधि/इंजी0 का पत्र सं0 Z/13/SS/2023/Comp./38 दि0 13.02.2024.

2. रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 94/CE-I/CT/4 (pt-17) दिनांक 20.02.2020

विषयगत के सम्बन्ध में उप मुसताधि/इंजी0 का संदर्भित पत्र दिनांक 13.02.2024 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एक सतर्कता जाँच के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि पूउरे0 के एक मण्डल में “Two Packets System” के माध्यम से आमंत्रित की गई दो निविदाओं में टेक्निकल बिड के निस्तारण के क्रम में प्रतिष्ठान द्वारा जमा किये गये Document Verification Certificate निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं भरे गये थे, जबकि इन दोनों निविदाओं में GCC-2022 में दिए गये प्रावधानों के अन्तर्गत, सभी निविदाकारों को Document Verification Certificate को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जमा किया जाना एक अनिवार्य योग्यता शर्त थी। निविदा समिति एवं निविदा स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा टेक्निकल ऑफर को उचित मानते हुए उनके फाइनैशियल ऑफर को खोलने की संस्तुति की गई थी एवं निविदा स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। फाइनैशियल ऑफर खोले जाने के उपरान्त Document Verification Certificate पर चर्चा करते हुए इन दोनों निविदाकारों के ऑफर को संज्ञान में नहीं लिया गया।

2. GCC-2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, Two Packets System of Tendering में फाइनैशियल बिड में केवल उन्हीं निविदाकारों के फाइनैशियल ऑफर खोले जाते हैं, जिनकी टेक्निकल बिड को योग्य पाया जाता है एवं टेक्निकल बिड में निविदा में निर्धारित पात्रता/अर्हता मानदंडों को पूर्ण करने हेतु निविदाकारों द्वारा ऑफर के साथ जमा किये गये समस्त प्रपत्रों को संज्ञान में लिया जाता है। अतः किसी निविदा में फर्म की फाइनैशियल बिड को खोले जाने की संस्तुति एवं स्वीकृति से पूर्व टेक्निकल बिड में सम्बन्धित निविदा समिति एवं स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल उन्ही निविदाकार फर्मों के फाइनैशियल बिड को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निविदा में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करती हों एवं जिनके द्वारा Document Verification Certificate से सम्बन्धित मान्य प्रमाण पत्र को जमा किया गया है। “Two Packets System” माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में फाइनैशियल बिड को खोले जाने के उपरान्त इन प्रपत्रों पर चर्चा किया जाना प्रक्रियात्मक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है एवं यह Two Packets System की मूल प्रकृति में विचलन को प्रदर्शित करता है।

3. Two Packets System के तहत आमंत्रित निविदाओं में पारदर्शिता लाने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से पद्धति सुधार जारी किया गया है। उपरोक्त रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, "In case a bidder, after expiry of closing time of submission of bids, withdraws his offer or when bids are already opened does not extend validity of his offer after expiry of same or in case of EPC tenders does not submit physical documents like Power of Attorney/Joint Bidding Agreements etc. required to be submitted before opening of bids: the technical bid of such bidder shall also be opened/evaluated by the tender committee. However, the financial bids of only technically qualified bidders (including bidder who has withdrawn his offer or has not extended validity of his offer after expiry of same or in case of EPC tenders has not submitted above documents, but otherwise technically qualifies) shall be opened.

Further, after opening of financial bids, in case tender committee is of the view that the tender would have been awarded to that technically qualified bidder had that bidder not withdrawn his offer/extended validity of his offer after expiry of the same/submitted above physical documents in case of EPC tenders, as the case may be; the tender should be discharged."

4. सतर्कता विभाग के विषयांकित पत्र एवं रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र दिनांक 20.02.2020 के आलोक में सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है, तथा उपरोक्त दिशा निर्देश को सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाय, जिससे कि भविष्य में उपरोक्त पहलुओं पर निविदा समिति एवं निविदा स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा सही निर्णय लिया जा सके। कृपया इस पत्र पर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

उपरोक्त पर प्रमुख मुख्य इंजीनियर महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक/यथोपरि

(पन्ना लाल)
मुख्य इंजीनियर/कार्य

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुसई0, प्रमुविई0, प्रमुयाई0, प्रमुसाप्र0/पूउरे0/गोरखपुर।
2. मण्डल रेल प्रबन्धक/पूउरे0/इज्जतनगर, वाराणसी एवं लखनऊ।
3. मुई0/टी.एम.सी., मुई0/सामान्य, मुई0/ब्रिज, मुई0/पी.एण्ड डी., मुपुई0, मुरेई0/पूउरे0/गोरखपुर।
4. उप मुसताधि/इंजी0/पूउरे0/गोरखपुर।


मुख्य इंजीनियर/कार्य

गोपनीय
CONFIDENTIAL

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012



Office of the
General Manager (Vig.)
Gorakhpur - 273012

सं०-Z/13/SS/2023/Comp./38

दिनांक-13/02/2024

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषय – "Two Packets System" के तहत आमंत्रित की गई निविदा (पद्धति सुधार)।
संदर्भ- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-94/CE-I/CT/4(Pl.-17), नई दिल्ली, दिनांक-20/02/2020।

76
15.02.2024

एक सतर्कता जांच के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में Two Packets System के माध्यम से आमंत्रित की गई दो निविदाओं में टेक्निकल बिड के निस्तारण में यह संज्ञान में नहीं लिया गया कि इन निविदाओं में भाग लेने वाले दो निविदाकारों द्वारा जमा किये गये Document Verification Certificate निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं भरे गए थे जबकि इन दोनों निविदाओं में GCC-2022 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत, सभी निविदाकारों को Document Verification Certificate को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जमा किया जाना एक अनिवार्य योग्यता शर्त थी। निविदा समिति द्वारा इन निविदाकारों के टेक्निकल ऑफर को उचित मानते हुए उनके फाइनैशियल ऑफर को खोलने की संस्तुति की गई एवं निविदा स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। फाइनैशियल बिड खोले जाने के उपरांत Document Verification Certificate पर चर्चा करते हुए इन दोनों निविदाकारों के ऑफर को संज्ञान में नहीं लिया गया है।

2. GCC-2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, Two Packet System of Tendering में फाइनैशियल बिड में केवल उन्हीं निविदाकारों के फाइनैशियल ऑफर खोले जाते हैं, जिनकी टेक्निकल बिड को योग्य पाया जाता है एवं टेक्निकल बिड में निविदा में निर्धारित पात्रता/अर्हता मानदंडों को पूर्ण करने हेतु निविदाकारों द्वारा ऑफर के साथ जमा किये गये समस्त प्रपत्रों को संज्ञान में लिया जाता है। अतः किसी निविदा में फर्म की फाइनैशियल बिड को खोले जाने की संस्तुति एवं स्वीकृति से पूर्व टेक्निकल बिड में संबंधित निविदा समिति एवं स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं निविदाकार फर्मों के फाइनैशियल बिड को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो निविदा में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करती हों एवं जिनके द्वारा Document Verification Certificate से संबंधित मान्य प्रमाण पत्र को जमा किया गया है। Two Packet System माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में फाइनैशियल बिड को खोले जाने के उपरांत इन प्रपत्रों पर चर्चा किया जाना प्रक्रियात्मक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है एवं यह Two Packet System की मूल प्रकृति में विचलन को प्रदर्शित करता है।

3. Two Packet System के तहत आमंत्रित निविदाओं में पारदर्शिता लाने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से पद्धति सुधार जारी किया गया है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः इस जांच के क्रम में यह अनुरोध है कि प्रमुख मुख्य इंजीनियर कार्यालय द्वारा उचित दिशा निर्देश (पद्धति सुधार) जारी किया जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हो।

इस पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संगलक- यथोपरि

(भारत भूषण)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी०



भारत सरकार (Government of India)

रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

57 320

No. 94/CE-I/CT/4 (pt -17)

New Delhi, dated 20.02.2020

As per list attached

Sub: Two Packet System of Tendering – System Improvement

To bring more transparency in two packet system of tendering, Board (ME, FC) has decided as follows:

In case a bidder, after expiry of closing time of submission of bids, withdraws his offer or when bids are already opened does not extend validity of his offer after expiry of same or in case of EPC tenders does not submit physical documents like Power of Attorney/ Joint Bidding Agreement etc. required to be submitted before opening of bids; the technical bid of such bidder shall also be opened / evaluated by the tender committee. However, the financial bids of only technically qualified bidders (including bidder who has withdrawn his offer or has not extended validity of his offer after expiry of same or in case of EPC tenders has not submitted above documents, but otherwise technically qualifies) shall be opened.

Further, after opening of financial bids, in case tender committee is of the view that the tender would have been awarded to that technically qualified bidder had that bidder not withdrawn his offer / extended validity of his offer after expiry of the same / submitted above physical documents in case of EPC tenders, as the case may be; the tender should be discharged.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Prem Sagar
(प्रेम सागर गुप्ता)
20/02/2020

कार्यकारी निदेशक सिविल इंजी.(जी)/रेलवे बोर्ड

[Phone: 030-44803(Rly): 011-23383379(MTNL)]

No. 94/CE-I/CT/4 (pt -17)

New Delhi, dated 20.02.2020

Copy forwarded for information to:

- (i) PFAs, All Indian Railways.
- (ii) The Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi

Singh

For Financial Commissioner / Railways